न्यायालय : जिला न्यायाधीश, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

विविध दीवानी प्रकरण संख्या **85** सन् **2025** (CIS No 85/2025)
C.N.R.No. RJUD01-004468-2025

1. श्रीमती सुन्दर कुंवर पत्नी स्वर्गीय मखन सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 49 वर्ष, निवासी 23, शॉपिंग सेन्टर, काका होटल के पीछे, सेक्टर-11, उदयपुर (राज.)।
2. सुश्री कुसुम पुत्री स्वर्गीय मखन सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 19 वर्ष, निवासी 23, शॉपिंग सेन्टर, काका होटल के पीछे, सेक्टर-11, उदयपुर (राज.)।
3. सुश्री संजना पुत्री स्वर्गीय मखन सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 15 वर्ष, नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुन्दर कुंवर, निवासी 23, शॉपिंग सेन्टर, काका होटल के पीछे, सेक्टर-11, उदयपुर (राज.)।
4. सुश्री निशा पुत्री स्वर्गीय मखन सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 14 वर्ष, नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुन्दर कुंवर,निवासी 23, शॉपिंग सेन्टर, काका होटल के पीछे, सेक्टर-11, उदयपुर (राज.)।
5. श्रीमती सायर कुंवर पत्नी स्वर्गीय देवी सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 73 वर्ष, निवासी डूंगर जी का गुडा, साथिया, जिला राजसमंद (राज.)।

-प्रार्थीगण

बनाम

सर्वसाधारण।

-विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थितिः
1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्त-प्रार्थीगण।
2. सर्वसाधारण में से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 25.05.2026

1. प्रार्थीगण की ओर से धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत हस्तगत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पति/पिता व प्रार्थी संख्या 5 के पुत्र मखन सिंह की सड़क दुर्घटना में दिनांक 07.10.2021 को मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण के अतिरिक्त मृतक मखन सिंह का अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। मृतक मखन सिंह वाहन संख्या आर.जे.27 जी बी 9957 का पंजीकृत स्वामी था, जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. से कराया हुआ था, जिसकी पॉलिसी वक्त घटना प्रभावी थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाहन के दुर्घटना बाबत् क्लेम प्रस्तुत किया, जिस पर नेट सालवेज के आधार पर 8,78,500 रूपए स्वीकृत किए थे, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा बार-बार उक्त राशि की मांग किए जाने पर उक्त राशि प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई। जिस पर प्रार्थीगण ने जरिए

RAKESH GAHALOT
AUTHENTICATED DOCUMENT
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAKESH GAHALOT
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.05.26 08:53:46 +0530

अधिवक्ता पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित किया, जिस पर बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा दिनांक 26.08.2025 को जवाब दिया कि उनके द्वारा 8,78,500 रूपए स्वीकृत किए थे, परन्तु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से पत्रावली बंद कर दी गई। प्रार्थीगण, मृतक मखन सिंह के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने से, उक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। तथाकथित राशि के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 सुंदर कुंवर के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में सभी प्रार्थीगण सहमत है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार क्लेम राशि उस पर देय लाभ/परिलाभ यदि कोई हो, के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 सुंदर कुंवर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विधिनुसार नोटिस जारी किए गए तथा आपत्तियों बाबत दैनिक सामाचार पत्र में सूचना पत्र भी प्रकाशित करवाया गया व डूंडी भी पिटवाई गई, किन्तु किसी भी व्यक्ति/पक्षकार द्वारा इस संबंध में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई।

3. साक्ष्य प्रार्थीगण में प्रार्थीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में ए.ड. 1 श्रीमती सुंदर कुंवर के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 10ए दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए गए, जिनकी विधिक स्थिति इस प्रकार है -

प्रदर्श 1ए	प्रार्थी संख्या 1 श्रीमती सुंदर कुंवर द्वारा जरिए अधिवक्ता नेशल इंश्योरेंस कंपनी लि. को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना पत्र की प्रति, जिसमें उसके द्वारा क्लेम राशि से उसे अवगत कराए जाने का कथन किया गया है।
प्रदर्श 2ए	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब दिनांक 26.08.2025 जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि उक्त वाहन नेट आफ सेलवेज के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपए 8,78,500 स्वीकृत किए गए थे, उनके द्वारा प्रार्थीगण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया था और उनको नियमित अनुस्मारक के पश्चात दिनांक 05.07.2022 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में उनकी दावा फाइल बंद कर दी गई थी।
प्रदर्श 3ए	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में सर्वसाधारण बाबत् समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना पत्र की प्रति
प्रदर्श 4ए	समाचारपत्र में प्रकाशित कराए जाने के संबंध में दी गई राशि की रसीद
प्रदर्श 5ए	मृतक मखन सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक 07.10.2021 को थराद (गुजरात) में होना अंकित है।
प्रदर्श 6ए	प्रार्थी संख्या 1 सुंदर कुंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, जिसमें उसके पति का नाम मखन सिंह अंकित है।
प्रदर्श 7ए	प्रार्थी संख्या 4 निशा कुंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, जिसमें उसके पिता का नाम मखन सिंह अंकित है।

RAKESH GAHALOT AUTHENTICATED DOCUMENT
"Authenticated Document" Digitally signed by RAKESH GAHALOT
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.05.26 08:53:59 +0530

प्रदर्श 8ए	प्रार्थी संख्या 3 संजना कुंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, जिसमें उसके पिता का नाम मखन सिंह अंकित है।
प्रदर्श 9ए	प्रार्थी संख्या 2 कुसुम कुंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, जिसमें उसके पिता का नाम मखन सिंह अंकित है।
प्रदर्श 10ए	प्रार्थी संख्या 5 सायर कुंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, जिसमें उसके पति का नाम देवी सिंह अंकित है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार मृतक मखन सिंह की वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 सुंदर कुंवर के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के विनिश्चय के लिए मेरे समक्ष निम्नांकित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है -

> ''आया प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पति/पिता व प्रार्थी संख्या 5 के पुत्र मखन सिंह का दिनांक 07.10.2021 को निधन हो जाने से, प्रार्थी संख्या 1, मृतक मखन सिंह की, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार चल संपत्ति के संबंध में, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ? ''

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के समर्थन में प्रार्थी संख्या-1 सुंदर कुंवर के द्वारा ए.ड. 1 के रूप में अपनी स्वयं की साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने मुख्य परीक्षण में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार मृतक मखन सिंह की तथाकथित चल संपत्ति को वह प्राप्त करने की अधिकारी है। इस संबंध में मृतक मखन सिंह के अन्य विधिक वारिसान (प्रार्थी संख्या 2 से 5) को कोई आपत्ति नहीं है।

7. इस प्रकार प्रार्थीगण के अभिवचनों व उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी संख्या 1 का पति, प्रार्थी संख्या 2 से 4 का पिता व प्रार्थी संख्या 5 का पुत्र मखन सिंह वाहन संख्या आर. जे. 27 जी बी 9957 का पंजीकृत स्वामी था, जिसका बीमा उसके द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. ब्रांच आफिस फर्स्ट फ्लोर 6, बापू बाजार, उदयपुर से कराया गया था, जिसकी पॉलिसी संख्या 380201312010004557 होकर, दिनांक 01.01.2022 तक प्रभावी होना पत्रावली पर प्रस्तुत बीमा पॉलिसी की फोटोप्रति के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतक मखन सिंह की

RAKESH GAHALOT
"Authenticated Document" Digitally signed by RAKESH GAHALOT Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.05.26 08:54:19 +0530
AUTHENTICATED DOCUMENT

मृत्यु निर्वसीयती हुई है। ऐसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व अनुसूची के वर्ग-1 का अवलोकन किया गया, जिसमें निर्वसीयती हिन्दू पुरूष की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के विभाजन का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार निर्वसीयती पुरूष के पुत्र, पुत्री, माता व विधवा को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना गया है। हस्तगत प्रकरण में मृतक मखन सिंह के पुत्र नरेन्द्र सिंह सोलंकी की मृत्यु, मखन सिंह की मृत्यु से पूर्व दिनांक 27.0AUTHENTICATED DOCUMENT6.2019 को डूंगरजी का गुढा,/जणावद/कुंभलगढ़/राजसमंद में होना पत्रावली पर प्रस्तुत उसके मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है। प्रार्थी सख्या 1 सुंदर कुंवर, मृतक मखन सिंह की पत्नी, प्रार्थी संख्या 2 से 4 पुत्रिया व प्रार्थी संख्या 5 माता होकर, उसके एकमात्र प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त मृतक मखन सिंह का अन्य कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपस्थित हो मृतक मखन सिंह का उत्तराधिकारी होने का दावा किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मृतक मखन सिंह के प्रथम श्रेणी के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी होने से, वे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार मृतक मखन सिंह की वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि व उस देय ब्याज/परिलाभ, यदि कोई हो, के समान भाग को प्राप्त करने के उत्तराधिकारी होना पाए जाते है।

9. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मखन सिंह के वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि व उस देय ब्याज/परिलाभ, यदि कोई हो, के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का कथन करते हुए इस संबंध में मृतक मखन सिंह के अन्य विधिक वारिसान (प्रार्थी संख्या 2 से 5) को कोई आपत्ति नहीं होने के अभिवचन किए है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की प्रार्थना के अनुरूप, मृतक मखन सिंह की, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि एवं उस पर देय लाभ/परिलाभ यदि कोई हो, के संबंध में प्रार्थिया संख्या-1 श्रीमती सुन्दर कुंवर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से,इस हेतु उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

फलतः प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दर कुंवर व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया संख्या 1 श्रीमती सुंदर कुंवर को स्वर्गीय मखन सिंह सोलंकी, के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. के वाहन बीमा पॉलिसी संख्या 38020131201000 4557 की क्लेम राशि व उस पर देय ब्याज/परिलाभ यदि कोई हो, को प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना

RAKESH GAHALOT
"Authenticated Document" Digitally signed by RAKESH GAHALOT Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document" Date: 2026.05.26 08:54:33 +0530
AUTHENTICATED DOCUMENT

पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णितानुसार वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि बाबत् निर्धारित न्यायशुल्क प्रस्तुत किए जाने पर प्रार्थिया संख्या 1 प्रार्थिया संख्या 1 श्रीमती सुंदर कुंवर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाये।

प्रार्थिया संख्या 1 श्रीमती सुंदर कुंवर उपरोक्त वाहन बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि व उस पर देय लाभ/परिलाभ यदि कोई हो के संबंध में आज आदेश दिनांक का विवरण संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त कर प्रस्तुत करे तथा उक्त आधार पर देय न्यायशुल्क विनिश्चित कर दो माह की अवधि में प्रस्तुत करे।

साथ ही प्रार्थिया संख्या 1 श्रीमती सुंदर कुंवर की ओर से एक अंडरटेकिंग इस आशय की प्रस्तुत की जावेगी कि भविष्य में इन चल संपत्तियों का अन्य कोई दावेदार होने पर इस न्यायालय के अग्रिम आदेश की पालना करने के लिये वह बाध्य होगी।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
जिला न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
जिला न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

RAKESH GAHALOT
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAKESH GAHALOT
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.05.26 08:54:46 +0530
AUTHENTICATED DOCUMENT